# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**अपील एल.आर. संख्या 220/2019/(2019/00220) जिला–अजमेर**

1. रघुनाथ पुत्र लादूराम
2. उमराव पुत्र लादूराम (फौत)
   2/1 सोनी देवी पत्नी उमराव
   2/2 जीवणराम पुत्र उमराव
   समस्त जाति जाट निवसीगण सावंतसर मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

## बनाम

1. रामावतार पुत्र स्व0 रामकरण
2. कमला पत्नी स्व0 रामकरण
3. हरीराम पुत्र स्व0 रामकरण
   समस्त जाति जाट निवासीगण सांवतसर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
4. संतोष पुत्री स्व0 रामकरण पत्नी प्रकाश
5. सम्पत पुत्री स्व0 रामकरण पत्नी सत्यनारायण
6. सुमित्रा पुत्री स्व0 रामकरण पत्नी महावीर
7. मनोहर पुत्री स्व0 रामकरण पत्नी करतार
8. सन्जू पुत्री स्व0 रामकरण पत्नी बलवीर
9. मन्जू पुत्री स्व0 रामकरण पत्नी हनुमान
   समस्त जाति जाट निवासीगण दादीया तहसील अंराई जिला अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, किशनगढ दिनांक 22–08–2019
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 06/2015
बउनवान रामाअवतार बनाम रघुनाथ

—

उपस्थित– 1. श्री एस.पी.ओझा अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री अमर सिंह राठौड़, मूंडाराम जाट अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या–1 लगायत 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:31 IST
Reason: SelfAttested

# निर्णय

दिनांकः– 12.01.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 रामावतार ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 8–6–2015 को तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज दादी मु0 तीजी बेवा मोडू जाति जाट की ग्राम सावतसर तहसील किशनगढ़ में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 557 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 558 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 560 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण एवं आराजी खसरा नम्बर 561 रकबा 7 बिस्वा गै0मु0चाह में तीजी बेवा मोडू आधे हिस्से के खातेदार दर्ज हैं। प्रत्यर्थीगण की दादी तीजी का स्वर्गवास दिनांक 20–12–1986 को हो गया तथा उसके पिता रामकरण का स्वर्गवास दिनांक 20–2–1995 को हो गया है। उक्त आराजी पर प्रत्यर्थीगण के पिता रामकरण काश्त करते थे तथा उनके फौत होने पर उनके वारिसान काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तहसीलदार, किशनगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरासत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया। इसे तहसीलदार (भू.अ.) किशनगढ़ ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–8–2019 द्वारा स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण स्व0 रामकरण के वारिसानों क्रमश कमला पत्नी स्व0 रामकरण, रामअवतार, हरिराम पुत्रगण स्व0 रामकरण तथा संतोष, सम्पत, सुमित्रा, मनोहर, सन्जू, मन्जू पुत्रियां स्व0 रामकरण के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये। तहसीलदार, (भ्.ू.अ.) किशनगढ के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थीगण ने भी एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30–6–2015 को उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र दिनांकित 8–6–2015 में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुए कथन किया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 रामावतार मोडू का [illegible] होकर लादू का पुत्र है अतः रामावतार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) किशनगढ़ को नियमानुसार जांच कर कार्यवाही हेतु भिजवा दिया था। तहसीलदार (भू.अ.) किशनगढ़ ने पटवारी हलका से दिनांक 23–7–2015 को रिपोर्ट मंगवा ली तथा इस रिपोर्ट के आधार पर तहीलदार ने प्रकरण को धारा 135 (2) के तहत दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:31 IST
Reason: SelfAttested

कर पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिये। इस पर अपीलार्थीगण के द्वारा दिनांक 6—11—2015 को पूर्व में एक पक्षीय मौका पर्चा रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत कर उच्चाधिकारियों की कमेटी गठित कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार, किशनगढ़ ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 6—11—2015 पर कमेटी गठित कर पुनः रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर पूर्व में प्राप्त एकपक्षीय पटवारी हलका की रिपोर्ट मौका पर्चा दिनांक 23—7—2015 की पुनः मौका एवं रिपोर्ट जांच करने के आदेश पारित कर दिये थे तथा भू.अ.निरीक्षक किशनगढ़ की अध्यक्षता में तीन सदस्य कमेटी गठित किये जाने के आदेश भी पारित कर दिये थे जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 रामावतार के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली को अन्यंत्र स्थानान्तरण करवाने का निवेदन किया गया जिस पर अग्रिम कार्यवाही रोक दी गई तथा प्रत्यर्थीगण ने उक्त सन्दर्भ में जिला कलक्टर के यहां मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। इसलिए उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 14—5—2019 को शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई। तहसीलदार, किशनगढ ने केवल दो राष्ट्रीय अखबार दैनिक कंचन केसरी एवं राष्ट्रदूत में आपत्ति आमंत्रण हेतु अखबार साया करवाकर इतिश्री कर ली। तहसीलदार, (भू.अ.) किशनगढ़ ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थीगण ने एक निगरानी संख्या 1074/2018 बउनवान कमला व अन्य बनाम राजस्थान सरकार राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने अपने आदेश दिनांक 16—2—2018 द्वारा स्व0 तीजी बेवा मोडू व स्व0 रामकरण पुत्र मोडू के विधिक वारिसानों की जांच कर एक माह में नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करने के आदेश पारित किये। उक्त प्रकरण में भी अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। तहसीलदार, किशनगढ ने अपीलार्थी एवं उसके अभिभाषक को बिना सूचना एवं नोटिस दिये एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि तीजी का स्वर्गवास दिनांक 20—12—1986 को होना बताया । अगर रामकरण मोडू का वास्तविक रूप से जायन्दा पुत्र होता अथवा गोद पुत्र भी होता तो वह राजस्व रेकार्ड में 20—12—1986 के बाद विरासत की कार्यवाही कर चुका होता। लेकिन रामकरण ने अपने जीवनकाल में दिनांक 20—2—1995 को स्वर्गवास होने तक राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। चूंकि रामकरण, उमराव और रघुनाथ तीनों लादूराम के जायन्दा पुत्र है लेकिन तीजी बेवा मोडू [illegible] को हड़पने के उद्देश्य से लगभग 29 वर्ष पश्चात रामकरण के स्वर्गवास के पश्चात रामावतार पुत्र रामकरण ने रामकरण को मोडूराम का पुत्र होना बताकर उक्त अवधि में रामकरण के द्वारा जो भी दस्तावेज मोडू के आधार पर तैयार किये गये को आधार मानकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तहसीलदार ने एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:31 IST
Reason: SelfAttested

उन्होनें यह भी कथन किया कि तहसीलदार किशनगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी जो उमराव पुत्र किशनाराम ने दिनांक 6–11–2015 को प्रस्तुत किया था जिसका जवाब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 11–1–2016 को प्रस्तुत किया है जिस पर पूर्व में सुनवाई नहीं हुई थी तथा जिला कलक्टर के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। इसलिए उक्त पत्रावली दिनांक 14–5–2019 को वापस दर्ज होने से अपीलार्थी को भी सुना जाना आवश्यक था लेकिन तहसीलदार किशनगढ ने उमराव पुत्र किशनाराम को सुने बिना प्रार्थना पत्र को खारिज कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि तहसीलदार किशनगढ ने अपीलाधीन निर्णय में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 6–11–2015 को बिना सुने खारिज किया है। अगर वह पत्रावली का अवलोकन कर लेते तो उक्त पत्रावली में पूर्व पारित आदेश दिनांक 29–9–2016 जिसके द्वारा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर पुनः मौका एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित कर दिये थे तो उक्त रिपोर्ट आये बिना प्रार्थना पत्र में निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था। रामकरण जो लादूराम का पुत्र है तथा लादूराम के तीनों पुत्र रूघनाथ, उमराव व रामकरण जो संयुक्त परिवार था तीजी की आराजी व लादूराम की आराजी सब मिलाकर आज भी 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त है तथा खसरा नम्बर 557 में एक अलग से कुंआ बना रखा है जिसमें विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है जो तीनों भाईयों के नाम दर्ज होकर पुत्रान लादूराम अंकित किया हुआ है। सभी ने अपने आवास भी बना रखे है। दिनांक 19–11–2009 को विवादित आराजी बाबत बंटवारा भी किया हुआ है जिसकी नकल भी प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास है। इसलिए रामकरण तीजी बेवा मोडू का पुत्र नहीं है बल्कि लादूराम का पुत्र है। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से जो साक्ष्य बयान प्रस्तुत किये है उसमें रामकरण को मोडू का गोदपुत्र बताया गया है जबकि प्रार्थना पत्र में एवं अन्य साक्ष्यों में कहीं भी दत्तक पुत्र अंकित नहीं है बल्कि रामकरण पुत्र मोडू अंकित किया हुआ है जो अपने आप में विरोधाभासी है। प्रत्यर्थीगण यदि रामकरण को तीजी बेवा मोडू का पुत्र अथवा दत्तक पुत्र होने के आधार पर अपना कोई क्लेम करते है तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। नामान्तरकरण कार्यवाही में हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–8–2019 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को जवाब, साक्ष्य व सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:31 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये यथा :-

(1) RRD 1961 Page 181, Case No. 3/ Sawai Madhopur of 1961, Decided on 2nd May, 1961 Motilal Versus State of Rajasthan

(2) RRD 1974 Page 21, Revision No. 86/ Bharatpur of 72, Decided on 30th Aug., 1973 Umedi Lal Versus Fappi (12)

(3) RRD 1981 Page 381, Appeal No. 371& 372/Alwar Of 77, Decided on 24th April 1981 Giriraj Versus State & Manna (160), Giriraj Versus State & Sugar.

(4) DNJ 2010 (Raj) Page 1139, S.B. Civil Misc. Appeal No. 445 of 1995, Decided on 5th Aug. 2010 Harbhajan Singh &ANR Versus LR's of Gardhara Singh

(5) RRD 1983 Page 651, Appeal No. 57/Ganganagar Of 83, Decided on 13th July 1983 Mohanlal Versus State of Rajasthan (207)

(6) RRD 1998 Page 279, Appeal No. 3/Jodhpur Of 93, Decided on 1st January 1998 Kumbha Ram Versus Dabha Ram &Ors (111)

(7) RRD 1984 Page 45, Revision No. 51/Tonk Of 81, Decided on 22 Dec. 1983 Banna Versus Kistura (10)

(8) RRD 1984 Page 111, Second Appeal No. 17/Bhilwara Of 82, Decided on 6th Oct. 1983 Indira Bal VIdya Mandir Versus State of Rajasthan (29)

(9) RRD 1984 Page 156, Revision No. 9/Udaipur Of 81 and 163/ Udaipur of 80, Decided on 1 Dec. 1983 Rawat Man Singh Versus State of Rajasthan (43)

(10) RBJ 2004 Page 610, Nigrani LR No. 25/2003/Ajmer, Decided on 06th Sep. 2004 Smt. Raksha Devi Versus Pashupatinath.

(11) RRT 2017 (2) Page 852, Revision No. 7310-11-12/ Dausa of 2010, Decided on 24th Oct. 2016 Smt. Narayani Versus Ramji Lal & Anr.

(12) RRT 2011-12(Supp) Page 246, Revision LR No. 2522/ Sikar of 2012, Decided on 9th Apr. 2012 Mohani Devi Versus Bhawani Singh & Anr.

(13) RRT 2009(1) Page 381, Appeal No. 1266 & 1268/Sikar Of 2005, Decided on 13th Oct. 2008 [illegible] &Ors. Versus Kisturi & Ors.

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता [illegible] बहस एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 व [illegible] 151 जा.दी. प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों को रिक[illegible] पर लिये जाने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस पर ऐतराज व्यक्त किया गया। न्यायहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:31 IST
Reason: SelfAttested

में अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित समस्त तथ्यों को दोहराते हुए सारगर्भित रूप से कथन किया कि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज दादी मु0 तीजी बेवा मोडू जाति जाट की ग्राम सावतसर तहसील किशनगढ़ में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 557 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 558 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 560 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण एवं आराजी खसरा नम्बर 561 रकबा 7 बिस्वा गै0मु0चाह में तीजी बेवा मोडू आधे हिस्से के खातेदार दर्ज हैं। प्रत्यर्थीगण की दादी तीजी का स्वर्गवास दिनांक 20—12—1986 को हो गया तत्पश्चात उसके पिता रामकरण का स्वर्गवास दिनांक 20—2—1995 को हो गया। प्रत्यर्थीगण की दादी तीजी बेवा मोडू के कोई जायन्दा सन्तान नहीं थी। प्रत्यर्थीगण के पूर्वज दादा मोडू पुत्र बालू एवं दादी तीजी बेवा मोडू ने अपने जीवनकाल में ही प्रत्यर्थीगण के पिताजी रामकरण पुत्र लादू को सामाजिक रीतिरिवाज से गोद ले लिया था। प्रत्यर्थीगण के पूर्वज दादा, दादी के मरणोपरान्त सभी सामाजिक एवं धार्मिक कार्य प्रत्यर्थीगण के पिता रामकरण ने सम्पन्न किये थे। प्रत्यर्थीगण की पूर्वज दादी तीजी बेवा मोडू की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि पर उनके जीवनकाल में एवं स्वर्गवास पश्चात प्रत्यर्थीगण के पिता रामकरण दत्तक पुत्र मोडू काबिज काश्त चले आ रहे थे। प्रत्यर्थीगण के पिता रामकरण के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें अन्य किसी भी दिगर व्यक्ति का कोई हक हिस्सा या दखल नहीं है। प्रत्यर्थीगण की पूर्वज दादी तीजी बेवा मोडू के नाम की वादग्रस्त आराजी खातेदारी की आराजियात में विरासत का नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण के पिता स्व0 रामकरण दत्तक पुत्र मोडू के वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में खुलवाने हेतु तहसीलदार, किशनगढ के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार, किशनगढ ने विधिक वारिसानों की विधिवत जांच कर एवं इनके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन एवं अध्ययन कर तथा विस्तृत मौका रिपोर्ट मंगवाकर ही नामान्तरकरण विधिक वारिसानों के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी रामअवतार एवं उसकी माता श्रीमति कमला एवं गवाहों श्री रामकरण पुत्र चन्द्रा जाट, रामकुमार पुत्र गोपीराम यादव, भैरूलाल वैष्णव (पुजारी), रामनारायण पुत्र भंवरलाल जाट, श्रीकिशन पुत्र हीरालाल [illegible] शिवराज पुत्र भंवरलाल जाट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्रों के अवलोकन [illegible] भी यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि रामकरण मोडू व तीजी का [illegible] था। [illegible] अलावा प्रत्यर्थी रामअवतार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में रामकरण के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 23.02.1995 का रजिस्ट्रीकरण सं0 64/30 दिनांक 23.02.19[illegible] अंकित किया गया। सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 01.06.2015, प्रोफार्मा ए किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र नं. 94 भाग संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:31 IST
Reason: SelfAttested

64 की नामावली 1983, मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमती तीजी बेवा मोडू जाट दिनांक 20. 12.1986, रसीद नगर पालिका किशनगढ़ पुस्तक/संख्या 124, सांवतसर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0/अन–लि0 की रसीद संख्या 16 दिनांक 01.10.1978, केन्द्रिय सहकारी बैंक लि0 अजमेर की ऋण पुस्तिका, निर्वाचन नामावली प्रर्फोमा ए दिनांक 15.12.1988, पियरलेस जनरल फाईनेन्स एण्ड इश्योरेंस कम्पनी लि0 इस्टेड 1932, परिवार कार्ड संख्या 1/495 दिनांक 25.01.1993, शपथ पत्र क्रमशः रामकरण चौधरी पुत्र चन्द्रा जाट, रामकुमार पुत्र गोपीराम, रामनारायण पुत्र भंवरलाल, श्रीकिशन पुत्र हीरालाल, शिवराज चौधरी पुत्र भंवरलाल, एवं बडवें की पोथी उक्त सभी दस्तावेजों में रामकरण को मोडू का पुत्र दर्शाया है। तथा बेनामा दिनांक 02.02.1983 (पंजीयन दिनांक 08.02.1983) में बतौर साक्षी रामकरण पुत्र मोडू अंकित है उक्त बैनामा आपत्तिकर्ता रघुनाथ पुत्र लादू जाट के पक्ष में निष्पादित किया गया था। अर्थात रघुनाथ द्वारा क्रय की गयी भूमि की रजिस्ट्री मे रामकरण पुत्र श्री मोडू ने बतौर गवाह हस्ताक्षर अंगुठा निशानी किये थे जिससे भी यह पूर्णतया स्पष्ट है कि रामकरण मोडू का पुत्र था जिसको आपत्तिकर्ता रघुनाथ पुत्र लादू ने स्वीकार किया है। तथा हक परित्याग प्रलेख दिनांक 10.01.2006, जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064, नामा0 संख्या 1344 स्वीकार दिनांक 29.01.2013, अपीलार्थी उमराव व रघुनाथ द्वारा ग्राम सांवतसर स्थित लादू पुत्र घीसा की कृषि भूमि का विरासत का नामा0 खुलवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष दिनांक 17.12.2005 को प्रस्तुत किया गया, शपथ पत्र उमराव पुत्र लादू द्वारा प्रस्तुत दिनांक 17.12.2005, लादू का सजरा दिनांक 17.12.2005 जिस पर रघुनाथ पुत्र लादू के हस्ताक्षर है जो वार्ड पार्षद द्वारा जारी किया गया है, ग्राम पंचायत बरना द्वारा जारी किशना पुत्र घीसा का पारिवारिक सजरा दिनांक 09.12.2004, ग्राम पंचायत बरना द्वारा जारी लादू का सजरा दिनांक 09.12.2004, विक्रय पत्र दिनांक 07.06.2008, नामा0 संख्या 1341 दिनांक 02.01.2006, नकल आवेदन पत्र दिनांक 08.09.2015 एवं कार्यालय आदेश दिनांक 11.09.2015, नामा0 सं0 461 ग्राम जोगियों का नाड़ा दिनांक 11.04.2013 को स्वीकृत हुआ, ग्राम पंचायत बरना द्वारा जारी लादू का सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 24.01.2013, खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2040 से 2043, धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस जारी करने के रजिस्टर की प्रतिलिपि, जन्म–मृत्यु रजिस्टर की प्रतिलिपि, एवं साक्ष्य शपथ पत्र (मूलाराम, रघुनाथ) एवं मौका पर्चा दिनांक 23.07.2015 तहसील में प्रस्तुत दिनांक 24.07.2015 है उक्त मौका रिपोर्ट पर पड़ौसियों व ग्रामवासियों के हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशानी है। इन समस्त दस्तावेजों में रामकरण को मोडू का पुत्र दर्शाया गया है जिससे भी यह पूर्णतया स्पष्ट प्रकट होता है कि रामकरण मोडू व तीजी का गोदपुत्र था इस आधार पर भी तहसीलदार भू.अ. किशनगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2019 पूर्णतया सही पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः इस आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:31 IST
Reason: SelfAttested

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज दादी मु0 तीजी बेवा मोडू

जाति जाट की ग्राम सावतसर तहसील किशनगढ़ में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 557 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 558 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 560 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण एवं आराजी खसरा नम्बर 561 रकबा 7 बिस्वा गै0मु0चाह में तीजी बेवा मोडू आधे हिस्से के खातेदार दर्ज हैं। प्रत्यर्थीगण की दादी तीजी का स्वर्गवास दिनांक 20–12–1986 को हो गया तत्पश्चात उसके पिता रामकरण का स्वर्गवास दिनांक 20–2–1995 को हो गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा फार्म 3 पर न्यायालय हाजा में फर्द दस्तावेज पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों में भी रामकरण को मोडू का पुत्र दर्शाया गया है तथा बयनामा दिनांक 2–2–1983 में बतौर साक्षी रामकरण पुत्र मोडू अंकित है। उक्त बयनामा अपीलार्थी संख्या 1 आपत्तिकर्ता रघुनाथ पुत्र श्री लादू जाट के पक्ष में निष्पादित किया गया था। अर्थात रघुनाथ द्वारा क्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री में रामकरण पुत्र श्री मोडू ने बतौर गवाह हस्ताक्षर अंगूठा निशानी किये थे जिससे भी स्पष्ट है कि रामकरण मोडू का पुत्र था और जिसको अपीलार्थीगण ने भी स्वीकार किया है। उक्त सभी दस्तावेज से पूर्णतया स्पष्ट है कि स्व0 तीजी बेवा मोडू व मोडू पुत्र बालू का रामकरण एक मात्र उत्तराधिकारी है। पटवारी हलका की मौका रिपोर्ट दिनांक 23–7–2015 जो मौके पर जाकर पड़ौसियों व ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौके पर ही तैयार की गई है, से भी स्पष्ट है कि मोडू व तीजी के एक मात्र वारिस रामकरण ही है। विवादग्रस्त आराजियात पर रामकरण की मृत्यु के पश्चात रामकरण के वारिसों रामावतार व हरिराम वगैराह का ही कब्जा काश्त होना पाया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा रामकरण को लादू का जायन्दा पुत्र मानते हुए भी ग्राम बरना, सांवतसर में स्थित लादू की खातेदारी की आराजियात में विरासत का नामान्तरकरण खुलवाते समय रामकरण का नाम दर्ज नहीं करवाया गया है। इससे भी यह जाहिर होता है कि रामकरण मोडू व तीजी के गोद गया हुआ था। इस बात की पुष्टि स्वयं अपीलार्थीगण द्वारा लादू की विरासत से रामकरण का नाम हटाये जाने से भी स्वतः ही हो जाती है। पत्रावली में उपलब्ध दैनिक अखबार की विज्ञप्ति दिनांक 9–8–2019 को स्याह करवाने पर सात दिवस में आपत्ति चाही गई किन्तु किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। तथ्यपरक समानता नही होने के कारण यह न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण मे यथावत चस्पा नही होते है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 श्रीमती कमला पत्नी रामकरण द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में एक निगरानी संख्या 1074/2018 बउनवान कमला व बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार अजमेर को स्व0 तीजी बेवा मोडू व स्व0 रामकरण पुत्र मोडू के विधिक वारिसानों की जांच कर एक माह में नामान्तकरण की कार्यवाही सम्पादित करने के आदेश दिनांक 16–2–2018 को दिये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:31 IST
Reason: SelfAttested

अतएव उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, पटवारी हलका सांवतसर द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच रिपोर्ट मय मौका पर्चा, गवाहों/पक्षकारान के साक्ष्य, शपथ पत्रों, बयानों के आधार पर तीजी बेवा मोडू का एक मात्र वारिस स्व0 रामकरण ही है। तहसीलदार (भू.अ.) किशनगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 22–8–2019 में ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ़ में स्थित खसरा नम्बर 557 रकबा 10–00–00 बीघा, खसरा नम्बर 558 रकबा 03–13–00, बीघा, खसरा नम्बर 560 रकबा 04–17–00 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 18–10–00 बीघा भूमि में स्व0 तीजी बेवा मोडू का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खसरा नम्बर 561 रकबा 00–07–00 बीघा भूमि में स्व0 तीजी बेवा मोडू का 1/2 हिस्से पर कमला पत्नी स्व0 रामकरण, रामअवतार, हरिराम पुत्रगण स्व0 रामकरण तथा संतोष, सम्पत, सुमित्रा, मनोहर, सन्जू, मन्जू पुत्रियां स्व0 रामकरण के नाम दर्ज करने के जो आदेश पारित किये गये है वह विधिसम्मत एवं संवैधानिक तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल होने से उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) किशनगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–8–2019 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 06/2015 बउनवान रामअवतार बनाम रघुनाथ विधिसम्मत एवं संवैधानिक तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल होने से यथावत रखा जाता है।

**(डॉ0 वीना प्रधान)**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:31 IST
Reason: SelfAttested